

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 3(1) गृह-10/2022

जयपुर, दिनांक:- 02.02.2024

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(16) 6000/- **Pay Matrix L-15 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री ओमप्रकाश कलावंत	अनुसूचित जाति वर्ग	2023-24	01.04.2023
2.	श्री प्रमोद कुमार हटवाल	अनुसूचित जाति वर्ग	2023-24	01.04.2023
3.	श्री अशोक कुमार नागर	अनुसूचित जाति वर्ग	2023-24	01.05.2023
4.	श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री बृजलाल	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2023-24	01.07.2023
5.	श्रीमती माया खड़ोलिया	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.08.2023
6.	श्रीमती रेखा ठाठोदिया	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.08.2023
7.	श्रीमती मंजूला जैन	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.10.2023
8.	श्री आलोक रवि	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.10.2023
9.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.10.2023
10.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.11.2023
11.	श्री हेमन्त देथा	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.12.2023

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
12.	श्री भवानी सिंह भाटी	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.12.2023
13.	श्री अनिल माकड़	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.12.2023
14.	श्री रामलाल सैनी	अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.01.2024
15.	श्री मोहनलाल गोयल (विकलांग)	विकलांग अनारक्षित वर्ग	2023-24	01.03.2024

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर